न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 23/2019

1–इमरान खॅ पुत्र इब्राहीम खॉ
2–अनवर खॅ पुत्र श्री इब्राहीम खॉ
3–मुमताज खा़ू पुत्र इब्राहीम खॉ
4–रूकसाना पुत्री इब्राहीम खॉ
5–सुवा बानो पत्नी इब्राहीम खॉ
6–मुस्ताक खॉ पुत्र लालू खॉ जाति कायमखानी निवासीगण बावड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–भवंरू खॉ अलीम खॉ
2–जीवण खॉ पुत्र अलीम खॉ
3–शहबाज खॉ पुत्र रसूल खॉ
4–युनुस खॉ पुत्र असगर खॉ
5–मकसुद खॉ पुत्र असगर खॉ
6–अजमेरी खॉ पुत्र श्री मालू खॉ
7–महबूब खॉ पुत्र मालू खॉ

समस्त जाति कायमखानी निवासी बावड़ी डीडवाना तहसील डीडवाना

8–तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री जमन लाल जागिड़ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण सं0 243 दिनांक 5.10.93 सरहद रसीदपुरा के खसरा सं0 333, 393 के बाबत तहसीलदार साहब, डीडवाना द्वास पारित किया गया को निरस्त करने बाबत।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

निर्णय

दिनांक:31.08.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक : 05.10.1993 ग्राम रसीदपुरा तहसीलदार डीडवाना के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सं0 1 से 5 के पिता/पति इब्राहिम खॉ व अपीलार्थी सं0 6 मुस्ताक खॉ एवम प्रत्यर्थीगण सं0 1 से 7 एक ही दादा मालू खॉ की सन्तान व वारिसान है। जिसका सजरा निम्न है:–

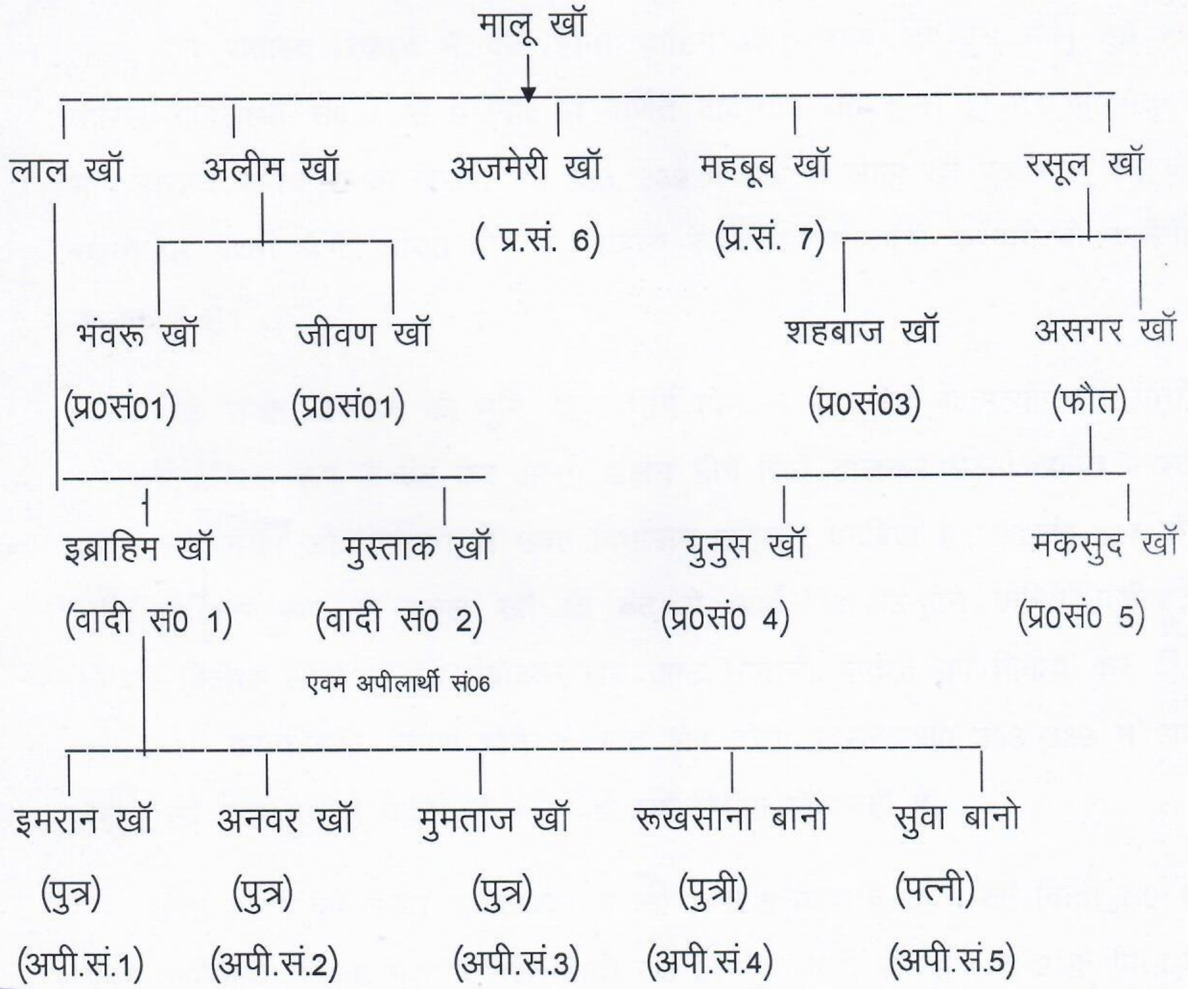

जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

कि हम वादीगण एवम प्रतिवादीगण एक ही दादा श्री मालू खॉ पुत्र सवाई खॉ की सन्तान है एवम दादा जी मालू खॉ की खातेदारी में सरहद रसीदपुरा में खसरा संख्या 327 रकबा 09बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 333 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा एवम खसरा नं0 339 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। कि हमारे पूर्वज/दादा जी मालू खॉ के पांच पुत्र सन्तान होने के उपरान्त उनकी मृत्युपरान्त फौतगी नामान्तरकरण के स्वीकृत करते वक्त हल्का पटवारी ने मिली भगत कर चार पुत्रों रसूल खॉ, अलीम खॉ अजमेरी खॉ व महबूब खॉ के नाम का अंकन कर दिया और पांचवें पुत्र लाल खॉ जो अपीलार्थीगण/ वादीगण के पिता थे, उनका नाम छोड़ दिया, जिससे लाल खॉ पुत्र मालू खॉ का नाम राजस्व रेकर्ड में आने से रह गया है।

जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था। लाल खॉ पुत्र मालू खॉ के वारिस अपीलार्थी सं0 1 से 6 (वाद में वर्णित वादीगण सं0 1 से 2) है। जो पैतृक भूमि सरहद रसीदपुरा के खसरा सं0 333, 339 व 327 में लाल खॉ पुत्र मालू खॉ के स्थान पर प्रथम श्रैणी वारिस होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है।

कि उक्त खसरान की भूमि पैतृक भूमि होने से मालू खॉ के मृत्योपरान्त पाचों पुत्रों ने मौखिक रूप से बंट कर अलग अलग नीवें सिवें डालकर अलग अलग काश्त करने लग गये। जो तत्समय से उक्त विभाजन अनुसार काबिज है। ख0सं0 327 की भूमि मौखिक रूप से रसूल खॉ के बंट में आई, जो उन्होने जरिये पंजीकृत विक्रय–विलेख लादूराम पुत्र श्योदान राम जाट निवासी बावड़ी को विक्रय कर दी। रसूल खॉ का हिस्सा बेचाण होने के बाद शेष दोनों खसरा सं0 333 339 में अब रसूल खॉ एवम उनके वारिसान का कोई हक हिस्सा शेष नहीं हें

उक्त तथ्यों को लेकर अपीलार्थीगण सं0 1 से 5 पिता इब्राहीम खॉ (वादी सं0 1) एवम अपीलार्थी सं0 6 मुश्ताक खॉ (वादी सं0 2) ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रत्यर्थी सं0 3 से 7 के (प्रतिवादी सं0 1 से 5) के विरूद्ध घोषणा खातेदारी एवम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सं0 172/91 बअनुवान इब्राहीम खा वगै0 बनाम अलीम खा वगै0 पेश कर निवेदन किया है कि मालू खॉ के इन्तकाल के बाद लाल खॉ का नाम चार भाईयों के साथ खातेदारी में नहीं आया। अतः वादीगण अपना खसरा नं0 333 एवम 339 में अन्य सहखातेदारो के साथ दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का यह कथन कि खसरा सं0 327 रसूल खॉ के हिस्से में और 333, 339 वादीगण के पिता व उनके अन्य तीन भाईयों के हिस्से में था । रसूल खॉ ने अपना हिस्सा बेच दिया । खसरा सं0 327 के बैचान बाबत रसूल के पुत्रान ने ईकरारनामा पेश किया है, जिसमें उनका शेष भूमि खसरा नं0 333, 339 में हिस्सा नहीं होना एवम लाल खॉ के पुत्रान इब्राहिम खॉ व मुश्ताक खॉ वादीगण का हिस्सा होना बताया है। उक्त भूमि खसरान सामलाती खाते की होने से रसूल खॉ के द्वारा खसरा सं0 327 की भूमि का बैचाण लादुराम को कर दिये जाने के उपरान्त भी रसूल खॉ के मृत्यु उपरान्त उनके पुत्रान शहबाज खॉ व असगर खॉ के नाम सहवन से खातेदारी में चढ गये। जिसको इकरारनामा में वर्णित लिखित को साक्ष्य के रूप में देखते हुए हटाया जाना आवश्यक है एवम् सेटलमेन्ट का पर्चा लगान व खतौनी सम्वत् 2037से को देखते हुए पैतृक सम्पति में लाल खॉ का हिस्सा होने से उनके पूत्रान वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में चढाया जाना आवश्यक है। वादीगण का वाद डिक्री करते हुए आदेश पारित किया ''कि ग्राम रसीदपुरा के खसरा सं0 333 एवम् 339 में वादीगण इब्राहिम खॉ, मुस्ताक खॉ को अलीम खॉ, अजमेरी खॉ एवम् महबुब खॉ के साथ सहखातेदार घोषित किये जाते है।'' कि निर्णय व डिक्री दिंनाक 19.02.92 को श्रीमान सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर आदेश कमांक/राजस्व/एसआर/1714 दिनांक 6.4.92 के द्वारा तहसीलदार डीडवाना को वाद संख्या 172/91 निर्णय दिनांक 19.02.92 बअनुवान इब्राहीम खॉ वगै0 बनाम अलीम खॉ वगै0 में पारित निर्णय अनुसार वाके ग्राम रसीदपुरा के खसरा सं0 333 व 339 में वादीगण इब्राहीम व मुस्ताक खॉ को प्रतिवादीगण अलीमखॉ, अजमेरी खॉ, महबूब खॉ के साथ सह खातेदार घोषित किया है इसी माफीक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भेजे की तहरीर जारी की गई। वादी संख्या 01 (अपीलार्थी संख्या 1 से 5 के पिता) इब्राहीम खॉ एवम वादी संख्या 2 (अपीलार्थी संख्या 6) का नाम राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरण संख्या 243 दिनांक 5.10.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

93 के द्वारा दर्ज किया गया लेकिन तहरीर में इब्राहीम खॉ ,मुस्ताक की वल्दीयत का अंकन नहीं होने से बिना वल्दियत की सहखातेदारो के साथ अंकन कर दिया गया जिससे सह खातेदार की वल्दियत ही वादीगण की वल्दियत होगी। एवम प्रतिवादी प्रत्यर्थी शहबाज खॉ व असगर खॉ प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के पिता का नाम हटाने का अंकन नहीं करते हुवे दोनों कार्यवाही उक्त आदेश दिनांक 1992 के द्वारा पारित निर्णय डिक्री के विरूद्ध करते हुवे उपरोक्त नामांकन स्वीकृत करवा लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)– यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आये मौखिक एवम दस्तावेजी साक्ष्यों का कतई गलत विवेचन करते हुये जो नामान्तरकरण भरा गया है, वह कतई खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(2)– यह है कि वाद में प्रस्तुत इकरारनामा स्टाम्प 2304 दिनांक 14.08.1991 व निष्पादन दिनांक 14.08.91 प्रदर्श –2 दिनांक 21.01.92 के द्वारा प्रतिवादी सं0 4 व 5 शहबाज खॉ व असगर खॉ पुत्र रसूल खॉ ने स्वीकार किया है कि हमारे पिता जी रसूल खॉ के बंट में खसरा सं0 327 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा आया था, जिससे हमारे पिता जी ने श्री लादुराम पुत्र श्री श्योदानाराम जाट निवासी बावड़ी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दिया । अब हमारा बकाया खसरा सं0 333 व 339 की जमीन में कोइ हक व हिस्सा नहीं होने का इकरार पेश किये जाने के बाद उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.92 में व तहरीर दिनांक 06.4.92 में शहबाज खॉ व असगर खॉ का नाम सहखातेदारान में उल्लेख नही किया गया अन्य तीनों सहखातेदार अपीलान्ट अलीम खॉ अजमेरी खॉ व महबूब खॉ का उल्लेख किया गया है। इसके उपरान्त भी तत्कालीन हल्का पटवारी ने न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों को ताक में रख कर तहरीर में संलग्न निर्णय व डिक्री का अवलोकन/मनन किये बिना नामान्तकरण भरते वक्त इब्राहिम व मुश्ताक खॉ सहखातेदार अंकित किये जाते है, का अंकन कर चुनौतीग्रास्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया है। उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नामान्तकरण में शहबाज खॉ व असगर खॉ का नाम हटाने का उल्लेख नहीं किया और नामान्तरण के कॉलम सं0 9 व जमाबंदी में अंकन करते वक्त उक्त शहबाज खॉ व असगर खॉ का नाम सहखातेदारान के साथ बदस्तुर रख दिया। इसलिए भी उक्त नामान्तरकण निर्णय आदेश व डिक्री के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

{3}(3)– यह है कि अपीलार्थीगण सं0 1 से 5 के पिता श्री इब्राहीम खॉ का दिनांक 03.12.2018 को इन्तकाल हो गया। उक्त इन्तकाल के बाद उनके वारिसान द्वारा दिनांक 13.03.2019 को हल्का पटवारी से पिता के फौतगी नामान्तकरण से खातेदारी अंकन हेतु सम्पर्क कर इब्राहीम खॉ पुत्र लाल खॉ का मृत्यु प्रमाण पत्र देने पर रिकार्ड देखकर हल्का जटवारी ने बताया की इब्राहीम खॉ की वल्दियत लाल खॉ अंकित नहीं होकर मालू खॉ अंकित हैं इसलिए सही वल्दियत के अभाव में फौतगी नामान्तकरण भरा जाना सम्भव नहीं है। तब उक्त खातेदारी से संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 13.03.2019 को लेने एवम नामान्तकरण सं0 243 की नकल दिनांक 25.03.2019 को लेने से व विधिक सलाह लेने से उक्त वल्दियत के दर्ज नहीं होने एवम शहबाज खॉ व असगर खॉ का नाम खाते से नहीं हटने का ज्ञान हुआ, इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड व नामान्तकरण की नकल लेने की दिनांक से हुई जानकारी व ज्ञान से आज अपील प्रस्तुती दिनांक तक अपील अन्दर मिया है एवम विधि विरूद्ध नामान्तकरण की कार्यवाही को निरस्त करवाने बाबत कभी भी चुनौती दी जा सकती है, इसके संबंध में परीसीमाकाल का बिन्दु बाधक नहीं है।

{3}(4)– यह है कि उक्त अपील विवादित नामान्तकरण सं0 243 को निरस्त कर अपीलार्थीगण सं0 1 से 5 के पिता इब्राहीम खॉ व अपीलार्थी संख्या 2 मुस्ताक खॉ की वल्दियत लाल खॉ दर्ज करने व सहखातेदार अलीम खॉ, अजमेरी खॉ व महबूब खॉ पुत्र मालू खॉ केसाथ अंकन करते हुए एवम सहखातेदार शहबाज खॉ व असगर खॉ के नाम का लाप करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु पेश करनी आवश्यक हुई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी को स्वीकार कर नामन्तकरण सं0 243 दिनांक 05.10.93 सरहद रसीदपुरा को न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित स्वीकृत किया गया होने से निरस्ती का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

{4} अपीलान्ट ने अपील दिनांक 03.04.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 03.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड दिनांक 01.01.2021 को न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है।

दिनांक 10.08.2021 को तहसीलदार डीडवाना से जवाब प्राप्त हुआ जो निम्न प्रकार से हैः–

यह सही है कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के राजस्व वाद संख्या 172/91 दिनांक 19.02.92 में पारित निर्णय के अनुसार नामान्तकरण संख्या 243 दर्ज किया गया जिसके अनुसार ग्राम रसीदपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2047–50 में नामान्तकरण संख्या 243 का नोट अंकित करने पर इब्राहीमखॉ मुश्ताक को सहखातेदार दर्ज किया गया। यह सही है कि ग्राम रसीदपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में इब्राहीम खा मुस्ताकखा के पिता का नाम मालूखॉ दर्ज हो गया है जबकि सहायक कलेक्टर डीडवाना के वाद संख्या 172/91 में पारित निर्णय के अनुसार इब्राहीम खॉ व मुस्ताकखां के पिता का नाम लालखां अंकित है। न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के निर्णय दिनांक 19.2.92 के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने का माननीय न्यायालय से आदेश चाहा गया है।

अतः तहसीलदार डीडवाना द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के वाद संख्या 172/91 में पारित निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दिनांक 19.2.1992 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने का उचित आदेश करने हेतु लिखा है।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 13.03.2019 से 25.03.2019 को लेने से हुई। तथा अपील न्यायालय में 03.04.19 को पेश की गई है। अतः नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपीलान्ट ने नकल प्राप्त करने की दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर अपील न्यायालय में पेश कर दी गयी। अतःअपील अपीलान्ट सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुवे अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6}– वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि उक्त विवादित नामान्तकरण में अपीलार्थीगण के पिता के स्थान पर दादा की वल्दियत का अंकन कर दिया गया व शहबाज खॉ व उनके भाई असगर खॉ के नाम भूमि गलत रूप से दर्ज कर दी गई जो तहसीलदार को भेजे गये आदेश में स्पष्टता नहीं होने से विवादित नामान्तकरण गलत स्वीकृत किया गया है जो वाद संख्या 172/91 में सहायक कलक्टर डीडवाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.92 के अनुसार चढाये जाने का निवेदन किया तथा गलत भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

{7}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार डीडवाना में भी अपीलार्थी के अभिवचन को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया। अतः नामान्तरण सख्यां 243 को खारिज किया जाना व अपीलार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की अपील को स्वीकार कर विवादित नामान्तरण को न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय दिनांक 19.02.92 के अनुसार स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:::: आदेश ::::

अपीलान्ट द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाकर ग्राम रसीदपुरा के नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 05.10.1993 को निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार डीडवाना को आदेश दिए जाते है कि न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना के निर्णय दिनांक 19.02.1992 के अनुसार सही सही नामान्तरकरण भर कर स्वीकृत किया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)